

पंजीयन कं.-17951

छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन शिक्षण समिति द्वारा संचालित

(उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से स्थायी संबध्द)

विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय

जी.ई रोड, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail vipracollege1996@gmail.com

Visit on- www.vipracollege.org

Phone No.

9406082000

7.1 Institutional Values and Social Responsibilities

7.1.1: Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity and Institutional initiatives to celebrate / organize national and international commemorative days, events and festivals during the last five years

Principal

Dr. Meghesh Tiwari Vipra Kala, Vanijya Avam Sharirik Shiksha Mahavidyalaya Raipur, Chhattisgarh

> प्राचार्य विप्र कला,वाणिज्य एवं शार्टी शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर छ.ग.

The Vipra Kala, Vanijya Avam Sharirik Shiksha Mahavidyalaya is very keen on identifying the desires and aspirations of the new generation and the measures to enrich the abilities and professional skills of both boys and girls, without any discrimination.

1. SAFETY AND SOCIAL SECURITY-

The institution has different committees such as Anti – the Ragging Committee, Students Grievance Committee and Discipline Committee which are on heels to provide quick relief to the students and to ensure the maintenance of a decent and moral atmosphere within the campus. that we live in has sown irrational gender prejudices which are deep-rooted. Unless these misconceptions are eradicated all attempts to bring gender equality will be futile.

2. GUIDANCE & COUNSELLING-

The institution established a Guidance and Counselling Cell which includes faculty members from various departments. Students are ensured that the counselling shall be one—to—one and complete confidentiality will be maintained. Counselling provides not only an opportunity to teachers to fathom students' attitudes, weaknesses and challenges, but also to provide the tools and insights to manage depression and distress. Besides providing personal counselling to the students, the Counselling Cell organizes Personality Development classes for all the students in general.

3. MENTOR-MENTEE

The college has adopted the "MENTOR-MENTEE" system as the first step towards confidence building among the students under which every department assigns a group of students to a particular teacher called "MENTOR" who takes care of those students personally and particularly regarding their attendance, participation, performance and guides/counsels accordingly. Each faculty is assigned a specific number of students to cater to their psychological and emotional needs.

4. ANTI-HARASSMENT CELL-

The Women Cell was established with the mission of making women globally oriented, educated & self-reliant. The Women's Cell/Anti-harassment cell at Vipra College, Raipur will be set up to provide women with a platform to complain about any unwelcome behaviour. To facilitate a gender-sensitive and congenial working environment at Vipra College, Indore so that women in the workplace are not subjected to gender-specific discrimination or sexual harassment. The Women's Cell/Anti-harassment cell at Vipra college will assist all women in achieving their full potential in education, career and personal life through academic and intellectual growth, professional development and personal empowerment.

5. PARENT TEACHER ASSOCIATION (PTA)

It is one more bonafide measure adopted by the institution to receive feedback from the parents and at the same time acquaint them with the progress of their ward.

6. COMMON ROOMS:


Separate Common Rooms with an attached Wash Room are the primary facility required for the girl and boys' students to meet their personal needs. As such the institution has provided a spacious Common Room to the girl students with adequate seating facilities. News Papers and Magazines are made available to the girls in the common room. Besides the common room for the girls, there is a separate washroom for boys and staff.

The details of measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity and Institutional initiatives to celebrate / organize national and international commemorative days, events and festivals are uploaded on institutional website i.e. www.vipracollege.org. The weblinks are-

S.N.	Description	Weblinks
1.	Discipline Committee	http://www.vipracollege.org/discipline-committee.php
2.	Women Cell	http://www.vipracollege.org/women-cell-anti-harassment-
		<u>cell.php</u>
3.	Anti-ragging Cell	http://www.vipracollege.org/anti-ragging-cell.php
4.	Guidance & Counselling Cell	http://www.vipracollege.org/guidance&counselling-cell.php
5.	Mentor-Mentee	http://www.vipracollege.org/faculty_of_education.php
6.	Grievance & Redressal Cell	http://www.vipracollege.org/grievance&redressal-cell.php
7.	Celebration of National and	http://www.vipracollege.org/independance_day.php
	International commemorative	http://www.vipracollege.org/republic_day.php
	days, events and festivals	http://www.vipracollege.org/teachers_day.php
		http://www.vipracollege.org/women_equity_day.php
8.	Parent Teachers Association	http://www.vipracollege.org/paren-teacher-association
9.	Girls Common Room	http://www.vipracollege.org/infrastucture.php
10.	Separate Wash Rooms	http://www.vipracollege.org/infrastucture.php

Activities Conducted in the Session 2017-18

Women Cell/Anti-Harassment Cell [2017-18]



छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, व अक्टूबर । विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में बुधवार को वार्षिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता के तहत चित्र कला और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई।

स्पर्धा के माध्यम से विद्यार्थियों ने महिला

उत्पीडन एवं महिला सुरक्षा पर अपनी अनुभृतियीं को वेशको से अभिव्यक्त किया।

विप्र कॉलेज के बालिका समस्या निवारण प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने भ्रूण इत्या और दहेज प्रथा जैसी समस्याओं को व्यक्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में परामर्श केंद्र महिला सुरक्षा पर केंद्रित पेंटिंग बनाई। रंगोली प्रतियोगिता में पार्वती साहू प्रथम, साँचता द्वितीय रहीं। चित्रकला प्रतियोगिता की जूनियर वर्ग में प्रथम गायत्री धीवर, द्वितीय अवशेष शर्मा रहे। सीनियर वर्ग में सहाता प्रथम, शुभांगी शर्मा द्वितीय रहीं। विजेताओं को प्राचार्य मेधेष तिवारी ने मोमेंटो प्रदान किया।

ज्वभारत' ६ अक्टू 2017

महिला उत्पीड़न, सुरक्षा पर चित्रकला व रंगोली स्पर्धा



नतभारत रिपोर्टर रायपुर.

विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में वार्षिक सांस्कृतिक साथां अंतर्गत चित्रकला, रंगोली सम्बाका अध्योजन किया गया. विद्यार्थियों ने महिला उत्योदन और सुरका पर चिंदा जतांचे हुए रंगोली और चित्र बनाए,

विप्रकालिज के बालिका समस्या निवारण प्रकोठ द्वारा आयोजित रंगोली में प्रतिभागियों ने कत्या भूण इत्या, वहेज प्रया जैसा समस्याओं को रंगों के जिए उभारा, वहीं चित्रकला में परामर्श केंद्र, महिला सुरक्षा गृह, महिला पुलिस थाना और यालिका सुरक्षा पर आकर्षक चित्र बनाए, रंगोली में प्रथम पार्वती साहु, दितीय संचिता और चित्रकला चुनियर वर्ग में प्रथम गायनी धीवर, दितीय अर्थरोष शमा रहे. सीनियर वर्ग में प्रथम सहान, द्वितीय गुभागी शमां रहीं. विजेताओं को मोमेन्टो प्राचार्य डॉ. मेथेस तिवारी ने दिया, इस अवसर पर थालिका समस्या प्रकोड की प्रभागी सारमिका मानवीय, सुमन पाणेडय, चांदनी सावलानी उपस्थित थाँ, निर्णायक सारिका विवदी, प्रविता शमां, प्रीति यादव थीं

नर्द देशिया. २ अवरं 5012

रंगोली में बेटी बचाने का संदेश

संवपुर। नईद्विया न्यूज

विध्र कॉलेज में बुधबार को चित्रकाल और लीलो प्रतियोधिता का जार्योजन किया गया। इसमें प्रतियाणियों ने स्ताली और चित्रकाला के माध्यम से अपनी मुखनाएं व्यक्त करते हुए कहा- बेटियां बचाएं। वहीं कई प्रतियाणियों ने महिला उत्पीदन और सुरक्षा विषय स्ताली बनाई। सभी ने अपनी प्रतिया का बख्दवी प्रवर्शन किया। स्पर्धा में विशार्थियों ने बढ़-बढ़कर किस्सा लिया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम पार्वती साह, डितीय स्थान संविता ने प्राप्त किया। चित्रकला स्पर्धा दो वर्गों में हुई। जुनियर कां में प्रथम गायशी धीता, दितीय अवशेष शर्मा और सीनियर वर्ग में प्रथम सहाना और दितीय स्थान गुआंगी शर्मा ने प्राप्त किया। विजयी प्रतिभागियों ने प्राप्त किया। विजयी प्रतिभागियों ने प्राप्ता है कर सम्मानित किया।









Anti-Ragging Cell [2017-18]

Anti-Ragging Cell of Vipra College ensures compliance with the provisions of Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also, to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution. As per the order of Supreme Court of India and subsequent Notification from University Grants Commission (UGC), ragging constitutes one or more of any intention by any student or group of students on:

- Any act of Indiscipline, Teasing or Handling with Rudeness.
- Any act that Prevents, Disrupts the Regular Academic Activity.
- Any activity which is likely to cause Annoyance, hardship, Psychological Harm or creates Fear or Apprehension.
- Any Act of Financial Extortion or Forceful Expenditure.
- Any Act of Physical Abuse causing Assault, Harm or danger to Health.
- Any Act of abuse by spoken words, emails, SMS or public insult etc.
- Any Act of Wrongful Confinement, Kidnapping, molesting or committing unnatural offences, use of criminal forces, trespass or intimidation.
- Any unlawful assembly or conspiracy to ragging.

It is clearly mentioned in the prospectus of the College.



रेगिंग क्या है ?

रैगिंग के अन्तर्गत:-

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी एवं अनुशासनहीनता क्रियाकलापों में संलग्न होना, जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों को ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता / सकती और जिसमें उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1995), अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है – किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव – मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यास्पद हो जाए या उस – धमका कर गलत ढंग से रोककर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अवरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रेगिंग का स्वरुप

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है -

स्पष्ट आदेश

• सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए

• सामृहिक कवायद करने के लिए

सीनियरों के लिए क्लास-नोट्स उतारने के लिए

अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए

सीनियरों के लिए भृत्योचित्त कार्य करने के लिए

अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए

नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आधात पहुंचाने हेतु

अश्लील चित्रों को देखने के लिए

शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना

 कामुक संकेतार्थ वाले कार्य-समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना

 ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।

 नंगा करना, चुंबन लेना, अन्य अश्लीलताएँ करना आदि। उपर्युक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पाँच को छोड़कर अधिकतर रेगिंग के विकृत रूपों से युक्त है। रैसिंग में लिप्त होने पर दी जाने वाले दण्ड -

- 1. प्रवेश निरस्त किया जाना
- 2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
- छात्रवृत्ति या अन्य सुविधाएं रोकना।
- 4. परीक्षाओं से वंचित करना।
- 5. परीक्षा परिणाम रोकना।
- राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध

- 7. संस्थआ से रेस्टीकेट किया जाना।
- 8. आर्थिक दण्ड रूपये 25,000/- तक।

विष्र महाविद्यालय अनुशासन सम्बन्धी नियम

छात्र/छात्रा अपने वाहन महाविद्यालय द्वारा निर्धारित स्टैण्ड पर ही रखें।

2. महाविद्यालय के अन्दर छात्र/छात्राओं का अपनी कक्षा के अलावा अन्य कक्षाओं में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।

3. प्राचार्य / प्रभारी प्राध्यापक के बिना अनुमति के महाविद्यालय में बैठक / पिकनिक या अन्य किसी ऐसी गतिधियां जिसमें छात्र / छात्राओं की सहभागिता हो पूर्णत वर्जित है।

4. महाविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालय के आस-पास अमर्यादित व्यवहार कर महाविद्यालय की छबि खराब न करें।

महाविद्यालय के छात्र / छात्राएं आपस में सौहाद्वपूर्ण व्यवहार बनायें रखें।

6. अध्यापन अवधि के दौरान छात्र/छात्राओं का कक्षा से बाहर रहना अनुशासहीनता माना जाएगा। अध्यापक के किसी कारणवश कक्षा में अनुपस्थित रहने पर छात्र/छात्राएं अपनी कक्षाओं में शांतिपूर्वक बैठकर अपना कार्य करें। विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधानित मं.प्र.वि.वि. अधिनियम 1973 के अधीन बनाए गए अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन मेंग किया जाने या दुराचरण की स्थिति में ऐसे छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निलंबन निष्कासन, वि. वि. परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना, रेस्टीगेशन का प्रावधान है। अनुशासनहीनता, लगातार अनुपस्थिति, शुल्कों का नियमित जमा न किया जाना, असंतोषजनक आचरण, रेगिंग आदि के कारणप्राचार्य किसी भी अध्येता का नाम महाविद्यालय की सुची से काटने में सक्षम है।

Mentor-Mentee 2017-18

Report

In the session 2017-18, students are divided into 1:20 ratio. One mentor is appointed for each 20 students. Mentor identified below average students & talented students through class observation & activities & organized for classes by subject teachers.

We merged below average students with talented students for enhancing or sharing knowledge and also organized expert lectures, debates, group discussions, quiz programs for the students.

The talented students are motivated by their mentors for joining communication skill & personality development programs, which were already run in our college.

Time	table of Extra Classes for Slow Learner S	Students
	Semester I	
Day	Subject	Mentor
Monday	Philosophical Perspectives of Education	Mrs. Reena Shukla
Tuesday	Learner and Learning Process	Dr. Divya Sharma
Wednesday	Philosophical Perspectives of Education	Mrs. Suman Pandey
Thursday	Learner and Learning Process	Mrs. Rasika Malviya
Friday	Personality Development	Dr. Shantilata Francis
Saturday	Communication Skill	Dr. Divya Sharma
-	Time table of Extra Classes for Slow Lea	arner Students
	Semester II	
Day	Subject	Mentor
Monday	Sociological Perspectives of Education	Mrs. Reena Shukla
Tuesday	Curriculam and Knowledge	Mrs. Sarika Trivedi
Wednesday	Art Education	Mrs. Apoorva Sharma
Thursday	Curriculam and Knowledge	Mrs. Sarika Trivedi
Friday	Personality Development	Dr. Shantilata Francis
Saturday	Communication Skill	Dr. Divya Sharma
Time ta	able of Extra Classes for Slow Learner Stu	dents
	Semester III	
Day	Subject	Mentor
Monday	Assessment of Learning	Mrs. Sarika Trivedi
Tuesday	Assessment of Learning	Mrs. Suman Pandey
Wednesday	Personality Development	Dr. Shantilata Francis
Thursday	Communication Skill	Dr. Divya Sharma
Friday	Assessment of Learning	Mrs. Sarika Trivedi
Saturday	Assessment of Learning	Mrs. Suman Pandey
	Time table of Extra Classes for Slow Lea	rner Students
	Semester IV	
Day	Subject	Mentor
Monday	Gender, School & Society	Dr. Divya Sharma
Tuesday	Language Proficiency	Mrs. Rasika Malviya
Wednesday	Gender, Education & Society	Dr. Divya Sharma
Thursday	Language Proficiency	Mrs. Rasika Malviya
Friday	Personality Development	Dr. Shantilata Francis
Saturday	Communication Skill	Dr. Divya Sharma

Celebration of National and International Commemorative Days, Events and Festivals 2017-18














Activities conducted in the Session 2018-19 Women Cell [2018-19]



25 Paris 11/10/18 345 /4-115 11/10/18 Part 3/2-412 3/ व्यालिश सम्मर्म विवासण प्रकोठि की अन्याम , अमोज्ड एवं सदस्य गावा उपरियत देश का एकेंग्डा -। यम २०१८-१९ में प्रकेट है डार्मडम हा र अर्थडम अरवाने हेउ वार्षिक ई केण्डर 3. 95/26 314 3143 अपर मार में किये जाने डों 65 डिपरमान् निम्न लिपिवन निर्मा लिपे ा. रिक्तीम परिन्यन्ती का आयोगन - 1 २. दिसंबर माह में ड टमार०यान छा आयीजन जनवरी मार में सेमीना हा आमीजन मिला होरी। 4. महाविधालय में अदमयन प्रत द्वात्राक्री की जानकारी पेगा रमयोज्य संदूष्य Al and.

14-115 11/10/18 27-4-11 रनामस्त विभाग के विभागाह्यम के विचित. Part 01/-1915 3- 13/10/18 रनवारण प्रकाण्ड डामा परिन्यो छ। कार्योणन छिमा जाना स्टुनिविचन डिमारे स्नुनी निकाणाध्यक्ष उत्तपने निधारित्यो की उपरिचित्त कानिवार्य स्पर् समीनार हाल (वलाइ В) 12.00 P.M. समम -पर वेचारिक मंथन। 31142110341 यं योजड Ras9161 शिमित रिखें। मालवीय विभागाध्यक शाहीरिद् रिश्वाका -Par 21 - famoi -Brey21 (991) वाधिएय विभाग

प्रतिवेदन


दिनांक 13/10/18 औ व्यक्ति समस्मा निष्मण प्रकार के द्वार वर्तमान में व्यक्ति प्रमास्मा निष्मण प्रकार के व्यक्ति द्वार वर्तमान में व्यक्ति द्वार के व्यक्ति द्वार के व्यक्ति द्वार के व्यक्ति प्रतिभाग के व्यक्ति प्रतिभाग के प्रशान द्वार के विचार क


B.Ed-I


KANCHAN SAHU
KANITA NETAM
KUMAG SIDAN
Angli mandani

B. Com TI
Amil Kuman
B. Com T
Amare Nath Fanu
Pankaj Shyamkuwan
Chefan Soni

Anti-Ragging Cell [2018-19]







Final Result Short

Date:09/10/18

S.No.	Name of the Participant	Judge I	Judge II	Judge 111	Total Marks (30)
l:	Harshet Singh Bent	01 (24	21	(63)-
2	Trepa Coha (Ded)	12	23	21	(10)-
3.	. Seein Posyani (8001)	9	21	19	47
4.	Kanchen Sahu (BEd)	155	25	12	52
3.	Jitcsh Sahu (BIAI)	7	23	18	48
fi:	Stenca Style (BrAI)	6	22	15	43
7.	Paiga Misha (BOAI)	3	-13	04	20
8.					
1.				0.7	
0.				-	-

Judge 1

Judge II

Judge III Pooja Wala



रैगिंग से कॅरियर के साथ जीवन भी हो जाता है खत्म

राजचानी रिपोर्टर ऱायपुर

नीई रोड स्थित विप्र महाविद्यालय में एटी रेगिंग सेल की ओर से रेगिंग और कॅरियर विषय पर शनिवार को परिचर्चा का आयोजन किया गया इस मौक पर विद्याचियाँ ने खलकर अपने विचार रखे. सभी ने माना कि रेगिंग एक मानसिक विकृति है। इससे रेशिय के जिकार होने वाल और रेशिय जन वाल दोनों का कैरियर के साथ तावन भी खन्म हो जाता है परिचर्चा की शरू आत करते हुए बाएड क विद्याची सामप्रकाश जोशी ने केरियर द रेखार का बहत बड़ी बाधा बताया. ्रंचि कहा कि सबसे त्यांच हॉस्टल क विद्याची रागग के शिकार होने हैं আতি না মাজাৰ ক বিয়াখী বিবাস भारको ने कहा कि गरिन्य आ**वस्यक** भारत में सरभावना जरूरी है

रेगिंग कंटा निकालने का एक तरीका है। एटी रेगिंग सेल को ऐसे विद्यार्थियों से चर्चा कर उनकी मानसिक स्थिति में सुधार का प्रयास करना चाहिए कस्प्युटर संकाय के विद्यार्थी चंद्रकाता ने कहा कि वर्तमान में न्यादातर महाविद्यालयों में रेगिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ सोनियर अभी भी अपने जुनियर को मानसिक रूप से प्रताहित करने की कोशिश करते हैं. जिसकी रोक आवश्यक है। अन्य विद्यार्थियों ने भी रेगिंग को लेकर अपने विचार रखे. परिचर्चा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आन वाल विद्यार्थियों को प्रस्कृत मोक. गरम 211 कि या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. मेघेश तिवारी गंदी रेगिंग सेल के प्रभारी विवेक जर्मा समेत बड़ी संख्या में विद्याची मी जुद रहे

27 0 9 101 1 2016

UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN

- I.MR. BOUDHA RAM father/mother/guardian of, POONAM POONAM, having been admitted to VIPRA ARTS, COMMERCE & PHYSICAL EDUCATION COLLEGE, RAIPUR (C.G.), have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions. 2009, (hereinafter called the Regulations), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3 I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or pasively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4. I hereby solemnly aver and undertake that My ward will not indulge in any behavior or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations. My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.
- 6. I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in ar institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared on 14/09/2019

Signature of deponent

Name: MR. BOUDHA RAM

Address: VILL-GHOGHARDIH, P.O.-GHOGHAR, TEH-BAGICHA, DIST-JASHPUR, CHHATTISG

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at 26 9 2018on 11.15 a.m

Signature of deponent

ANTI RAGGING UNDERTAKING BY THE STUDENT

- I.POONAM POONAM s/o | d/o MR. BOUDHA RAM, having been admitted to VIPRA
 ARTS, COMMERCE & PHYSICAL EDUCATION COLLEGE, RAIPUR (C.G.), have received a copy of
 the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions,
 2009, (hereinafter called the Regulations) carefully read and fully understood the provisions
 contained in the said Regulations.
- I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- 3. I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty for abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- 4. I hereby solemnly aver and undertake that I will not include in any behavior or act that maybe constituted as ragging under clause 3 of the Regulations. I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- 5. I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9, of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against m under any penallaw or any law for the time being in force. I hereby declare that I have not bee expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being four guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to canceled.

Declared on	14	09	18	
Signature of o	Line			

Name: POONAM POONAM

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at on


Signature of deponent

Mentor-Mentee [2018-19]

MENTORS MENTEE RECORD 2018-19

व्यत्र व्याह-19 में B.Ed. में उपध्यानस्त निर्धार्शमों की कुल कंत्रमा 98 हैं। इस प्रकार इस निर्धार्शमों की कहा। प्रस्तुतीकरण व्यवं काम क्रियाकलारी की देखते हुए इसकी प्रतिकाण की उपने हुए इसकी प्रतिकाण की उपने हुए इसकी प्रतिकाण की जिस्सार के लिए महाविधालम में मिएकों इति अत्यान के मिएकों की विधार्श के प्रतिकालम में मिएकों हुए 98 विद्यार्शियों की विधार्श विधार्श के अत्यान में अपण गमा, 1 इस प्रकार विधार्श हमा प्रतिकालम सनं अस्ति में कम विद्यार्शियों का न्यान किया गमा। विद्यार्शियों के दोनों स्वपूर्श के लिए उन्हर्म विधार्शियों के दोनों स्वपूर्श के लिए उन्हर्म विधार्शियों की उन्हर्म विधार्शियों के दोनों स्वपूर्श के लिए उन्हर्म विधार्शियों के दोनों स्वपूर्श के लिए उन्हर्म विधार्शियों की उन्हर्म विधार्शियों के विधार की निर्धार की मिलार की लिए उपस्तुत विखार की अस्ति का उन्हर्म विधार की मिलार की किए उपस्तुत विधार की उन्हर्म का का उन्हर्म विधार की मानाविधारों या कार्यक्री का उन्हर्म विधार विधा

- ा. प्रतिभावान विद्याविको के लिए।
- i) प्रतिभावान विद्याचियों को झाँर जिस्तारने रखें इनकी प्रतिभा की ब्युडी मार्ज देने के लिए नभा साक्ष्म दैवल बनाया गया।
- 0). इनकी श्रीत्मोगिता चरीक्षा की संमर्श के निर्म श्रीत्मिहत करने के साथ -2 इन विक्री की क्याओं का आयोजन किमा।
- Communication stills करने के किया क्रोटन किया गया।



Celebration of National and International commemorative days, events and festivals [2018-19]













Activities conducted in the Session 2019-20 Women Cell [2019-20]

Erodlo 17 310202

मोबाइल के कारण अपराध में वृद्धि-डॉ. प्रिया राव

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 17 अक्टूबर। विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में गुरुवार को बालिका समस्या निवारण प्रकोष्ट द्वारा आयोजित अतिथि व्याख्यानमाला में डॉ प्रिया राव पांडेय (प्राध्यापक विधि

विभाग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर) ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराध कारण निवारण कानूनी प्रावधान विशेषकर साइबर क्राइम विषय पर सारगर्भित जानकारी दी।

विप्र कॉलेज सभागार में छात्र छात्राओं को डॉ प्रिया राव पांडे ने महिलाओं के साथ होने वाले

अपराध दहेज, घरेलू हिंसा, छेड्छाड्, एसिड अटैक ,बालिका उत्पीड्न आदि घटनाओं में दंड प्रक्रिया, सजा, लागू होने वाली धारा आदि की जानकारी देते हुए बताया है, जिसके कारण अपराध बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करना, मित्रता के लिए दबाव डालना, प्रलोभन देकर शोषण करना जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। इस दंडनीय अपराध के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए अभी से अपनी आदतों में परिवर्तन लाएं। कोई

भी चीज हल्के में ना लें। कैरियर अच्छा बनाने के लिए पढ़ाई पर फोकस करें। सोशल मीडिया पर अन्जान से दोस्ती ना करें और ना ही व्यक्तिगत जानकारी साझा करें। विवादित या संवेदनशील विषय पर टिप्पणी ना करें। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ.मेघेष तिवारी ने कहा कि विद्यार्थियों को सजग कर सुरक्षित करने के उद्देश्य से व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्राध्यापक सहित बड़ी संख्या में



मोबाइल के कारण बदलती प्रवृत्ति से अपराध में वृद्धि

• अवगारत विपोर्टर । रावपुर.

www.navabharat.org

छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन शिक्षण समिति द्वारा संचालित विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में बालिका समस्या निवारण प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अतिथि ज्ञाख्यानमाला में प्राध्यापक, विधि विभाग, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर डॉ. प्रिया राव पांडेय ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, कारण, निवारण, कानूनी प्रावधान, विशेषकर साइबर क्राइम विषय पर सारगर्धित जानकारी दी.



विप्र कॉलेज सभागार में छात्र -छात्राओं को डॉ. प्रिया राव पांडे ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराध दहेज प्रताइना, घरेलू हिंसा, छेडछाड़, एसिड अटैक, वालिका उत्पीइन आदि घटनाओं में दंड प्रक्रिया, सजा, लागू होने वाली धारा आदि की जानकारी देते हुए कहा कि मोबाइल के कारण युवाओं की प्रवृत्ति में बदलाव आया है, जिसके कारण अपराध बढ़े हैं. सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करना, मित्रता के लिए दबाव डालना, प्रलोभन देकर शोषण करना जैसे अपराध बढ़ रहे हैं. यह दंडनीय अपराध है. सजा और जुमनिका प्रावधान है. इसलिए अभी से अपनी आदतों में परिवर्तन लाएं. कोई भी चीज हल्के में ना लें, करियर अच्छा बनाने के लिए पढ़ाई पर फोकस करें. सोशल मीडिया पर अनजाने से दोस्ती ना करें और ना ही व्यक्तिगत जानकारी साझा करें. विवादित या संवेदनशील विषय पर टिप्पणी ना करें. सजयता, समझ और कानून की जानकारी ही बढ़ते साइबर क्राइम से हमें सुरक्षित रख सकता है.

प्राचार्य डॉ. मेथेष तिवारी ने कहा कि विद्यार्थियों को सजग कर सुरक्षित करने के उद्देश्य से व्याख्यान का आयोजन किया गया. आपसे अनजाने में कोई दंडनीय अपराध न हो और आपके साथ भी इस प्रकार का अपराध न हो. दोनों इस स्थिति में श्वति आपकी है. कार्यक्रम का आयोजन प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती रसिका मालवीय ने किया तथा संचालन निधि ठाकुर ने किया इस अवसर पर समस्त प्राध्यापकों सहित बडी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे.

मोबाइल के कारण बदलती प्रवृत्ति से अपराध में वृद्धिः डॉ. प्रिया राव पांडे

रायपुर विप्र महाविद्यालय में बालिका समस्या निवारण प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित व्याख्यान माला में रविवि के विधि विभाग की प्राध्यापक डॉ. प्रिया राव पांडे ने गुरुवार को महिलाओं के साथ होने वाले अपराध, कारण, निवारण, कानूनी प्रावधान और साइबर क्राइम के विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल के कारण युवाओं की प्रवृत्ति में बदलाव आया है, जिसके कारण अपराध बढ़े है। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट, मित्रता के लिए दबाव डालना, प्रलोभन देकर शोषण करना जैसे अपराध बढ़ रहे है। यह दंडनीय अपराध है, जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके लिए सभी को अपने आदत में बदलाव लाना होगा। कैरियर के लिए पढ़ाई में फोकस करें, सोशल मीडिया में अनजान लोगों से दोस्ती कर उन्हें निजी जानकारी शेयर न करें। विवादित और संवेदनशील विषयों पर टिप्पणी करने से बचें। सजगता, समझ और कानून की जानकारी ही बढ़ते साइबर क्राइम से हमें सुरक्षित रख सकता है।

41 Hon 18.0ct. 2019.

साइबर क्राइम की दी जानकारी

सोशल मीडिया को खुद पर हावी न होने दें, कॅरियर पर फोकस्ड रहें युवा





प्रत्रिका PLUS रिपोर्टर

रायपुर ® छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन शिक्षण समिति संचालित विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में बालिका समस्या निवारण प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अतिथि व्याख्यानमाला में डॉ प्रिया राव पांडेय ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराध कारण निवारण कानूनी प्रावधान विशेषकर साइबर क्राइम विषय पर सारगर्भित जानकारी दी।

विप्र कॉलेज सभागार में छात्र

करना, मित्रता के लिए दबाव डालना, प्रलोभन देकर शोषण करना जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। यह दंडनीय अपराध है सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए अभी से अपनी आदतों में परिवर्तन लाएं। कोई भी चीज हल्के में ना लें। कॉरियर अच्छा बनाने के लिए पढ़ाई पर फोकस करें। सोशल मीडिया पर अनजाने से दोस्ती ना करें और न ही व्यक्तिगत जानकारी साझा करें। विवादित या संवेदनशील विषय पर टिप्पणी ना करें। सजगता समझ और कानून की जानकारी ही बढ़ते

हरिभूमि 18 OCT. 2019

मोबाइल के कारण बदली है अपराध की प्रवृति



रायपुर। विप्र कॉलेज में बालिका समस्या निवारण प्रकोष्ठ द्वारा अतिथि व्याख्यानमाला रखी गई। इसमें डॉ. प्रिया राव पांडेय (प्राध्यापक विधि विभाग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर) ने महिलाओं के साथ होने वाले अपराध कारण निवारण कानूनी प्रावधान विशेषकर साइबर क्राइम विषय पर सारगर्भित जानकारी दी। उन्होंने कहा, मोबाइल के कारण युवाओं की प्रवृत्ति में बदलाव आया है, जिसके कारण अपराध बढ़े हैं। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करना, मित्रता के लिए दबाव डालना, प्रलोभन देकर शोषण करना जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। इससे बचने के उपाय भी बताए गए। प्राध्यापकों सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

Anti-ragging Cell [2019-20]

47-4-11
16/10/2019
अहारिवहाराल्य के समस्त विभागार रासी, प्राहणावर्
तथा विद्याधियो को स्थित विद्या काता है छि- "एटी रेशिंश सेक" हाता रक्तांशन स्थित काता है छि-
- अ 121/4 न विमा जारहा है। में भी विभागाह सह
अ।योजन विभाग का रहा है। अभी विभागाह यह -
- स्थितित पॉन्य यविद्यां दिनाँ के 19/10/2019 - दिन रानिवाद तर्के स्थान विभाग की
41891- Addi (46), 4164149) 3, 418 (94)
कराया मार्थाम मार्थिका में भीन स्थानाम पास्टर
हेल 'हाने पाएंगें।
211 (311361)
Marsh
21-412
Par +1- 10 31121: Resila
authalhana
- Milita of 10 ans; Sailed hama
31(5/6) 1 Jan 1) 1 MAD.
- 211 PRQ PIATE PO 21131!

	Q=0
Ragging is an int	eraction
floating in the ocean	o of Ego
Jeaches the lessons o	
RAGGING	
	B.C.

RAGGING


TS A CRIMINAL OFFENCE
DON'T "RAGG"

Also DON'T BE A MUTE

WITNESS TO RAGGING

NAME - DIN

Guidance & Counselling Cell [2019-20]




अमिवेदन १-

04/01/19

अध्ययन दिए गय

राँयीजक Suman Pandey



Mentor-Mentee Record [2019-20]

महाविद्यालय में सत्र 2019—20 में कुल 100 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया । जिसमें से 02 विद्यार्थियों ने व्यक्तिगत कारणों से सत्र बीच में ही छोड़ दिया। इस प्रकार 98 प्रशिक्षार्थियों में से 14 उच्च बौद्धिक क्षमता स्तर के थे एवं 10 प्रशिक्षार्थी निम्न बौद्धिक क्षमता के थे। शेष प्रशिक्षार्थी औसत बौद्धिक क्षमता के थे।

महाविद्यालय में प्रवेशित उच्च बौद्धिक क्षमता स्तर के विद्यार्थियों हेतु मूल्यवर्धित कार्यक्रम की व्यवस्था की गई। साथ ही सत्र के दौरान समय समय पर सामान्य ज्ञान विषय एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु सेमीनार, अतिथि व्याख्यान, प्रश्नोत्तरी इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इसी प्रकार से निम्न बौद्धिक क्षमता स्तर के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की गई। साथ ही विषय अनुसार उन्हे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ समूह परिचर्चा हेतु प्रेरित किया गया।


Celebration of National and International commemorative days, events and festivals [2019-20]







Activities conducted in the Session 2020-21

Women Cell [2020-21]





Anti-ragging Cell [2020-21]



कुल सचिव ने रैगिंग पर विद्यार्थियों को चेताया





छत्तीसगढ् संबाददाता

रायपुर, ७ नवम्बर । विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में एंटी रेगिंग सेल द्वारा गुरूवार को आयोजित व्याख्यान में इँ गिरीश कांत पांडेय कुलसचित्र पाँडत रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने रेगिंग के दुष्परिणान रेगिंग रोकथाम अधिनियम रेगिंग के प्रकार और विद्यार्थियों द्वारा शिकायत करने के तरीके और कार्यवाही की विद्यार्थियों को विस्तार पूर्वक

इस अवसर पर डॉक्टर गिरीश कांत पांडेब ने कहा हर विद्यार्थी परिवार समाज और देश के लिए अनमोल है। रैगिंग के कारण कई बार विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। विश्वविद्यालय आयोग ने 1986 में शिमंग को कहाई से प्रतिबंधित कर दिया है लेकिन इसके बाद रेगिंग ने दूसरा स्वरूप

परिचय के नाम पर शारीरिक प्रताड़ना के बजाय विद्यार्थियों को मानसिक प्रताहना दी जाती है। जिसके कारण विद्यार्थियों के कैरियर को नुकसान होता है। कठोर दंड के प्रावधान से रैगिंग में कमी आई है। कालेज विश्वविद्यालय जिला और विश्वविद्यालय आयोग के स्तर पर एंटी रैगिंग सेल बनाया गया है। जहां विद्यार्थी शिकायत कर सकते हैं। इस वर्ष से इंडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन की सुविधा खेलकृद लाइबेरी आदि सभी जानकारी प्रदान करने के लिए कालेजों को निर्देशित किया गया है। प्राचार्यं डॉ मेघेश तिवारी ने कालेज के एंटी रेमिंग सेल की जानकारी देते हुए कहा रैगिंग के एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इसके बाद भी प्रत्येक विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग सेल की जानकारी होनी चाहिए। आधार प्रदर्शन एंटी रेगिंग सेल के प्रभारी सारिका द्विवेदी ने किया इस अवसर पर समस्त प्राच्यापकों सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

ज्वशास्त - 8 अंव - 2019

हर विद्यार्थी अनमोल, रैगिंग के कारण खोना नहीं चाहते : पांडेय

रायपुर, छत्तीसगढ् युवा विकास संगठन शिक्षण समिति द्वारा संचालित विप्रकला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में एंटी रैगिंग सेल द्वारा आयोजित व्याख्यान में पंडित रविशंकर गुक्ल विश्वविद्यालय कुलसचिव डॉ. गिरीश कांत पांडेय ने रैगिंग के दुष्परिणाम, रोकथाम अधिनियम, इसके प्रकार और विद्यार्थियों द्वारा

खास बार्ते

- विध्र कॉलेज में व्याख्यान क आयोजन
- एंटी टैमिंग सेल द्वारा आयोजित

शिकायत करने के तरीके और कार्रवाई की जानकारी दी.

विप्र कॉलेज के समागार में डॉ. पांडेय ने कहा कि हर विद्यार्थी परिवार, समाज और देश के लिए अनमील है. रैगिंग के विकराल रूप के कारण विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं. रैगिंग के नाम पर हम इन्हें खोना नहीं चाहते, अतः विश्वविद्यालय आयोग ने 1986 में रैगिंग को कड़ाई से प्रतिबंध कर दिया. इसके बाद रेगिंग ने दूसरा स्वरूप ले लिया है. परिचय के नाम



पर शारीरिक के बजाय मानसिक प्रताङ्ना ने भी विद्यार्थियों के कॅरियर को नुकसान पहुंचाना शुरू किया है. इसे देखते हुए सीनियर द्वारा जूनियर से परिचय प्राप्त करना, कॉलेज परिसर के बाहर कहीं भी रैगिंग लेना प्रतिबंधित किया गया है. कठोर दंड के प्रावधान से रैगिंग में कभी आई है. कॉलेज, विश्वविद्यालय, जिला और विश्वविद्यालय आयोग के स्तर पर एंटी रैगिंग सेल बनाया गया है. जहां विद्यार्थी शिकायत कर सकते हैं. इस वर्ष से इंडक्शन प्रोग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन की सुविधा खेलकृद लाइग्रेरी आदि सभी जानकारी प्रदान करने के कॉलेजों को निर्देशित किया गया है, ताकि नवीन प्रवेश प्राप्त विद्याधियों को अपने अधिकार और कॉलेज गतिविधियों की जानकारी मिल सके. प्राचार्य डॉ. मेघेश तिवारी ने कॉलेज के एंटी रैगिंग सेल की जानकारी देते हुए कहा कि रैगिंग के एक भी प्रकरण दर्ज नहीं है, इसके बाद भी प्रत्येक विद्यार्थियों की एटी रैगिंग सेल की जानकारी होनी चाहिए. आभार एंटी रैगिंग सेल के प्रभारी सारिका दिवेदी ने किया. इस अवसर पर समस्त प्राध्यापको सहित बढ़ी संख्या में विशार्थी उपस्थित थे

ANTI RAGGING UNDERTAKING I

- I, NEMICHAND NEMICHAND NAYAK s/g | d/o MS, LAXMI BAI, having been admissed. ART, COMMERCE AND PHYSICAL EDUCATION COLLEGE RAIPUR, have received a copy of UGC Regulations on Carbon Land Regulation Land Regulatio ART , COMMERCE AND PHYSICAL EDUCATION COLLEGE RAIPUR, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions. 2009, [hereinafter Falled the Regulations] carefully read and fully understood the provisions. (hereinafter called the Regulations) carefully read and fully understood the provisions 2. I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and arm aware as to what constitutes rapping.
- I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9,1 of the Regulations and am fully aware of the panal and administration action that is liable to be taken against me in case I am found
- of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found a per abetting pageing against or pageing pagei of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty for abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging. 4. Thereby solemnly aver and undertake that I will not include in any behavior or act that maybe nereoy scienniy aver and undertake that I will not induige in any behavior or act that maybe constituted as ragging under clause 3 of the Regulations. I will not participate in or about the participate in or about the participate in or about the participate and accomplished the participate the participate and participate and participate the participate the participate and participate and participate the participate the participate and participate the participate the participate and participate the partici
- constituted as ragging under clause 3 of the Regulations. I will not participate in or abet of propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Boundaries. 5. Thereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1
- of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me or the negulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penallaw or any law for the time being in force. I hereby declare that I have not been applied as debagged from adapticable to any law to the time being in force. under any penallaw or any law for the time being in force. I nereby declare that I have not geen expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found. guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to canceled.

Declared on 20/11/2019 Signature of deponent Name: NEMICHAND NEMICHAND NAYA!

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at

Signature of deponent

Mentor-Mentee [2020-21]

Report

In this session, students are divided into 1:11 ratio. One mentor is appointed for each 11 students. Mentor identified below average students & talented students through class observation and activities organized by the teachers.


We organized online classes, webinar for below average students and talented students for joining together on the Online platform for enhancing and sharing knowledge and also organized online expert lectures, debates, group discussions, quiz programs for the students.

The talented students are motivated by their mentors for joining Online Communication skill and Personality development programs, which were already run in our college.

•	Time table of Extra Classes for Below than	Average Students	
	Semester I		
Day	Subject	Mentor	
Monday	Philosophical Perspectives of Education	Mrs. Reena Shukla	
Tuesday	Nai Talim :An Experiential Learning	Mrs Rasika Malviya	
Wednesday	Philosophical Perspectives of Education	Mrs. Suman Pandey	
Thursday	Nai Talim :An Experiential Learning	Mrs Rinkee Devi Singh	
Friday	Personality Development	Dr.Divya Sharma	
Saturday	Communication Skill	Ms. Sonia Israni	
	Time table of Extra Classes for Below than	Average Students	
	Semester II		
Day	Subject	Mentor	
Monday	Sociological Perspectives of Education	Mrs. Reena Shukla	
Tuesday	Learner and Learning Process	Mrs. Divya sharma	
Wednesday	curriculum and Knowledge	Mrs. Sarika Trivedi	
Thursday	Learner and Learning Process	Mrs. Rasika Malviya	
Friday	Personality Development	Dr. Divya Sharma	
Saturday	Communication Skill	Ms Sonia Israni	

Celebration of National and International commemorative days, events and festivals [2020-21]








Activities conducted in the Session 2021-22


Women Cell [2021-22]



निकाम के 3114)49 यो रोक्तिमी कार्य ७३। १२) २१ वर्ष विश्वा विभाग में -21-41000 31132113412 Jasila रेगीली सम्म - 11 अर्थ से 12 अर्थ तहर 121517 Pamot Saildhaus वाहिएम विभाग 5+12/22 (anis) शारीरिड विकास विकास -थींग निमाग

		Rangol	i Competiti		73.100	
	Theme	: Womem Empowerment and Safet	Date: 04/12/21			
	S.No.	Name of the Participants	Theme 5	Colour Combination 5	Clarity 5	Total Marks out of 15
13. 7	el.	Sourya Tripathi				
1 90	2.	Nelsa Datel				-5+
Ed-I	3.	Rushi Dwivedi				Trud
	4.	Indu Dewangan			-	7190
	L5.	Azhan Quraishi			-	111
DCAI	r 6.	Triveni Thakur				
	<u></u> 1.7.	Ansika yadar			-	-
on II	8.	Shikhari Nayak	4		-	
	9.	0			-	
	10.				4	
Sko	Judge		Blum Judge II			Judge III

Anti-ragging Cell [2021-22]



Mentor-Mentee [2021-22]

Report

In this session, students are divided into 1:13 ratio. One mentor is appointed for each 13 students. Mentor identified below average students & talented students through class observation & activities & organized for classes by subject teachers.

We merged below average students with talented students for enhancing or sharing knowledge and also organized expert lectures, debates, group discussions, quiz programs for the students.

The talented students are motivated by their mentors for joining communication skill & personality development programs, which were already run in our college.

Tim	e table of Extra Classes for Below than Avo	erage Students	
	Semester II		
Day	Subject	Mentor	
Monday	Sociological Perspectives of Education	Mrs. Reena Shukla	
		Mrs. Sarika	
Tuesday	Curriculam and Knowledge	Trivedi	
Wednesday	Art Education	Mrs. Apoorva Sharma	
		Mrs. Sarika	
Thursday	Curriculam and Knowledge	Trivedi	
Friday	Personality Development	Mrs. Sonia Israni	
Saturday	Communication Skill	Dr. Divya Sharma	
r	Time table of Extra Classes for Below than	Average Students	
	Semester III		
Day	Subject	Mentor	
		Mrs. Sarika	
Monday	Assessment of Learning	Trivedi	
Tuesday	Assessment of Learning	Mrs. Suman Pandey	
Wednesday	Personality Development	Mrs. Sonia Israni	
Thursday	Communication Skill	Dr. Divya Sharma	
		Mrs. Sarika	
Friday	Assessment of Learning	Trivedi	
Saturday	Assessment of Learning	Mrs. Suman Pandey	
r	Time table of Extra Classes for Below than	Average Students	
	Semester IV		
Day	Subject	Mentor	
Monday	Gender, School & Society	Mrs.Rinkee Devi Singl	
Tuesday	Language Proficiency	Mrs. Rasika Malviya	
Wednesday	Gender, Education & Society	Mrs.Rinkee Devi Singh	
Thursday	Language Proficiency	Mrs. Rasika Malviya	
Friday	Personality Development	Mrs Sonia Israni	
Saturday	Communication Skill	Dr. Divya Sharma	

Celebration of National and International Commemorative Days, Events and Festivals [2021-22]













Parent Teacher Meeting



6HXV+697, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India

Latitude 21.2483455°

Local 09:41:01 AM GMT 04:11:01 AM Longitude 81.5933928°

Altitude 107 meters Monday, 27-12-2021